

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(67)वित्त/राजस्व/2021

जयपुर, दिनांक:-08.06.2021

आदेश

विषय:-राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से संबंधित गतिविधियों के सम्बन्ध में
मॉडिफाईड लॉकडाउन दिशा निर्देश।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2021 को मॉडिफाईड लॉकडाउन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 37 के अनुसार सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियों के सम्बन्ध में वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (1) राजस्व अर्जन संबंधी कार्यालय:- वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, RSBCL तथा RSGSM, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग के सभी कार्यालय कार्यदिवस में प्रातः 09:30 से सांय 04:00 बजे तक खुले रहेंगे।

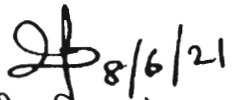
उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित राजस्व संग्रहण गतिविधियां पूर्व की भांति निरन्तर जारी रहेंगी।

- (2) आबकारी दुकानें:- आबकारी दुकानें गृह विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2021 के परिशिष्ट 'C' में वर्णित अन्य दुकानों की भांति सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 06:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक खुली रहेंगी। शुक्रवार सांय 05:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुशासन "Weekend Curfew" के समय दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।

- (3) खनन गतिविधियां:- यथावत जारी रहेंगी।

सामाजिक दूरी रखते हुए मास्क का प्रयोग करते हुए गृह विभाग द्वारा जारी अन्य सभी गाईड लाइन्स की पालना कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की होगी।

यह आदेश दिनांक 08.06.2021 मंगलवार को प्रातः 05:00 बजे से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।


(टी. रविकान्त)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
9. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त महानिरीक्षक रेंज, पुलिस।
12. समस्त जिला कलक्टर।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14. कार्यकारी निदेशक, आरएसबीसीएल, जयपुर।
15. महाप्रबंधक, आरएसजीएसएम, जयपुर।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव, वित्त (राजस्व)